

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:- 10.11.2025

कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता-आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (E.A.F.M.) प्रतियोगी परीक्षा-2014 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7865/2025 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2025 तथा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13521/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2025 की पालना में उक्त परीक्षा के निम्नलिखित 05 याची अभ्यर्थियों को परिणाम दिनांक 14.12.2018 के अन्तर्गत विचारित किया गया-

|        |        |                 |
|--------|--------|-----------------|
| 132326 | 156075 | 165656          |
| 168643 | 180138 | कुल 05 अभ्यर्थी |

उपरोक्तानुसार विचारित किये जाने पर साक्षात्कार उपरान्त परिणाम दिनांक 14.12.2018 के अन्तर्गत उक्त याची अभ्यर्थियों हेतु मुख्य सूची में रिक्त रखे गये पदों के विरुद्ध निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर मुख्य सूची में निम्नानुसार अस्थाई रूप से सफल घोषित किया जाता है-

### रोल नम्बर (मेरिट क्रमांक)

121461 (M-31-C)  
140346 (M-31-B)

131559 (M-31-D)

132155 (M-31-A)

136545 (M-31-E) (P)

TOTAL CANDIDATES:- 05

### नोट:-

1. 'P' से तात्पर्य प्रोविजनल से है।
2. उक्त सभी 05 याची अभ्यर्थी प्राप्तांकों के आधार पर स्वयं के वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आने के कारण मुख्य सूची में असफल रहते हैं।
3. उक्त रिट याचिकाओं के अन्तर्गत उक्त परीक्षा के शेष याची अभ्यर्थियों के पात्रता जांच में अपात्र रहने के कारण लिखित परीक्षा (Objective Type) के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जा रहे हैं।

(रामनिवास मेहता)  
सचिव